

मांग संख्या 64
मुख्य शीर्ष 2202

मद क्रमांक 1 से 2

आकस्मिकता निधि भृत्य एवं अंशकालीन स्वीपर के मजदूरी भुगतान हेतु ₹ 89.62 लाख अतिरिक्त व्यय संभावित है।

अतः इस प्रयोजन हेतु ₹ 89,62,000 अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 3

अनुसूचित जाति पोस्ट मैट्रिक छात्रावासों में निवासरत विद्यार्थियों को छात्र भोजन सहाय योजनांतर्गत देय राशि में वृद्धि करते हुए ₹ 700 प्रतिमाह करने हेतु ₹ 110.23 लाख का अतिरिक्त व्यय संभावित है।

अतः इस प्रयोजन हेतु ₹ 1,10,23,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 4

अशासकीय विद्यालय को सहायक अनुदान हेतु ₹ 52.05 लाख की अतिरिक्त आवश्यकता है

अतः इस प्रयोजन हेतु ₹ 52,05,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 5

1. अशासकीय संस्थाओं को सहायक अनुदान हेतु ₹ 143.74 लाख की अतिरिक्त आवश्यकता है

2. अशासकीय संस्था विवेकानंद विद्यापीठ कोटा रायपुर हेतु ₹ 312.00 लाख की अतिरिक्त आवश्यकता है

अतः इस प्रयोजन हेतु ₹ 4,55,74,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 6 से 7

राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान के अन्तर्गत शासकीय डी.पी.विप्र महाविद्यालय, बिलासपुर, शासकीय माता शबरी नवीन पीजी महिला महाविद्यालय, बिलासपुर के अधोसंरचना निर्माण हेतु ₹ 200.00 लाख का व्यय संभावित है। यह व्यय विभागीय बचत से किया जायेगा।

अतः इस प्रयोजन हेतु ₹ 200 के प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 2210

मद क्रमांक 8 से 9

शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय, बिलासपुर में मल्टी सुपरस्पेशियलिटी चिकित्सालय की स्थापना PMSSY योजनांतर्गत हेतु ₹ 2100.00 लाख का व्यय संभावित है।

अतः इस प्रयोजन हेतु ₹ 21,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 10 से 11

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन योजना के संचालन हेतु ₹ 3867.60 लाख का अतिरिक्त व्यय संभावित है।

अतः इस प्रयोजन हेतु ₹ 38,67,60,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 12

सिम्स महाविद्यालय एवं चिकित्सालय, बिलासपुर में भारतीय चिकित्सा परिषद के मापदण्डानुसार 27 स्टॉफ नर्स के अतिरिक्त पदों के सृजन हेतु ₹ 92.98 लाख का व्यय संभावित है। यह व्यय विभागीय बचत से किया जावेगा। पदों का विवरण निम्नानुसार है:-

क्र.	पदनाम	वेतन मैट्रिक्स	पद संख्या
1	स्टाफ नर्स	लेवल-7	27

अतः इस प्रयोजन हेतु ₹ 100 के प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 13 से 14

छत्तीसगढ़ राज्य बीमारी सहायता योजना के संचालन हेतु ₹ 120.00 लाख का अतिरिक्त व्यय संभावित है।

अतः इस प्रयोजन हेतु ₹ 1,20,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्यशीर्ष 2217

मद क्रमांक 15 से 16

अमृत मिशन योजना अंतर्गत ₹5440.00 लाख का अतिरिक्त व्यय संभावित है।
अतः इस प्रयोजन हेतु ₹ 54,40,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 2235

मद क्रमांक 17 से 21

एकीकृत बाल विकास सेवा योजना अंतर्गत अन्य व्यय हेतु ₹532.32 लाख, अन्य अनुरक्षण कार्य हेतु ₹400.68 लाख, दवाईयां हेतु ₹30.60 लाख, वाहन किराया हेतु ₹ 100 को प्रतीक अतिरिक्त आवश्यकता है। सहित कुल ₹9,63,60,100 लाख (केन्द्रांश ₹ 578.16लाख + राज्यांश ₹ 385.44 लाख)

अतः इन प्रयोजनों हेतु ₹ 9,63,60,100 अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।

मद क्रमांक 22

शुचिता योजना के संचालन हेतु ₹48.00 लाख का अतिरिक्त व्यय संभावित है ।

अतः इस प्रयोजन हेतु ₹48,00,000 प्रथम अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।

मुख्य शीर्ष 2236

मद क्रमांक 23

महतारी जतन योजना के संचालन हेतु ₹78.12 लाख का अतिरिक्त व्यय संभावित है ।

अतः इस प्रयोजन हेतु ₹78,12,000 अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।

मद क्रमांक 24 से 25

न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम विशेष पोषण आहार योजना के संचालन हेतु ₹57.00 लाख का अतिरिक्त व्यय संभावित है ।

अतः इस प्रयोजन हेतु ₹57,00,000 अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।

मुख्य शीर्ष 2401

मद क्रमांक 26

खरीफ वर्ष 2019 में धान उत्पादन पर प्रोत्साहन हेतु ₹ 11316.00 लाख का अतिरिक्त व्यय संभावित है ।

अतः इस प्रयोजन हेतु ₹ 1,13,16,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।

मद क्रमांक 27

पोषण बाडी विकास योजना हेतु ₹120.00 लाख का अतिरिक्त व्यय संभावित है ।

अतः इस प्रयोजन हेतु ₹1,20,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।

मुख्य शीर्ष 2408

मद क्रमांक 28

रियायती दर पर आयोडाईज्ड नमक वितरण हेतु सहायक अनुदान अंतर्गत ₹ 600.00 लाख का व्यय संभावित है।

अतः इस प्रयोजन हेतु ₹ 6,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।

मुख्य शीर्ष 2801

मद क्रमांक 29

राज्य के घरेलू विद्युत उपभोक्ताओं को विद्युत देयकों में राहत हेतु ₹ 1416.00 लाख का अतिरिक्त व्यय संभावित है।

अतः इस प्रयोजन हेतु ₹ 14,16,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता

मुख्य शीर्ष 4210

मद क्रमांक 30

सिम्स चिकित्सालय, बिलासपुर के ENT विभाग के कक्ष में साऊंड प्रुफिंग एवं रेडियोलॉजी ब्लॉक के तृतीय तल में आक्सीजन गैस एवं सेक्शन पाईप लाईन कार्य हेतु ₹ 50.00 लाख का व्यय संभावित है ।

अतः इस प्रयोजन हेतु ₹ 50,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 4810

मद क्रमांक 31

दीनदयाल उपाध्याय ग्रामज्योति योजना हेतु ₹ 458.00 लाख का अतिरिक्त व्यय संभावित है।

अतः इस प्रयोजन हेतु ₹ 4,58,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 32

प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना (सौभाग्य योजना) हेतु ₹ 81.36 लाख का अतिरिक्त व्यय संभावित है।

अतः इस प्रयोजन हेतु ₹ 81,36,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।